

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[No. 150] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 1984/बैसाख 17, 1906
[No. 150] NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 1984/BAISAKHA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्र संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

लाला और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 7 मई, 1984

सांका०नि० 327(अ०) आख०ईख —केन्द्रीय सरकार ईख (नियंत्रण)
आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके
उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐम प्राधिकारियों,
निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना बहुत
आवश्यक समझती है और ईख की आधारीक न्यूनतम कीमत 13.50 रुपये
प्रति क्विंटल के आधार पर जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सहबद्ध
है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वसूली
की वृद्धि पर 15.8824 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है इससे उपाबद्ध अनु-
सूची के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में
नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में वि-
निर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखानों के स्वामियों द्वारा या उनके
अधिकारियों द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30
सितम्बर 1984 को समाप्त होने वाले द्वैध वर्ष 1983-84 के लिए परिवर्त
166 GI/84

(1)

ईस के लिए संवय होगी किन्तु ऐसा उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	गन्ने का रूपायों में प्रति क्विंटल न्यूनतम मूल्य
1	2	3
	पालेयर कोआपरेटिव शुगर लिमिटेड राजेश्वरपुरम आमुगुडम—जिला खामाम-507150 (उ०प्र०)	13.50

[सं० 3-1/83-एस०पी०वाई (डी-II)]

एन० आर० बनर्जी, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 1984

G.S.R. 327 (E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.50 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.8824 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 1983-84, ending the 30th September, 1984, subject to the rebates payable, therefor, under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
1	2	3
1.	The Palair Coop. Sugars Ltd., Rajeswarapuram, Ammugudem P.O., Khammam Distt.-507159 (A.P.)	13.50

[No. 3-1/83-SPY(DII)]

N.R. BANERJI, Jt. Secy. (Sugar)